रजिस्ट्री सं. डी एल.-33004/92 REGD. NO. D.L -33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 80] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 5, 1993/माघ 16, 1914
No. 80] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 5, 1993/MAGHA 16, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

कलकत्ता, 5 फरवरी, 1993

फा. आ. 90(अ):—पटसन (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1961 के खण्ड 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आर. एन. दे, पटसन आयुक्त एतद् द्वारा ट्वील्स (एक प्रकार का पटसन वस्त्र) की साइज 112.4 सें. मीटर × 67.5 सें. मीटर

साम्य वजन सिला किनारा 112.00 सें. मीटर एच. डी. 1020 ग्राम बोरा 6 × 8, 3-मीले शुष्क सिला है तथा अन्य वृष्टियों से वर्तमान भा. मा. (2566—1984 अद्यतन संशोधित) के अनुरूप है, अधिकतम बहिर्निर्माणी कीमत 1160.22 रुपए प्रति एक सौ बोरे नियत करता हूं, इसी अधिकतम कीमत पर उसका क्रय अथवा विक्री जनवरी, महीने 1993 के दौरान किया जाएगा ।

इस अधिसूचना के अधीन नियत की गई एक मात्र कीमत उत्पादन शुल्क उपकर जो पटसन निर्माण अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत देय होगी, विक्रय कर जो क्रेता को वास्तविक खर्च के अनुसार बहिर्निर्माणी कीमत के अतिरिक्त देना होगा ।

[फाइल सं. 8/3/93—जूट]

आर. एन. दे, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Jute Commissioner)

NOTIFICATION

Calcutta, the 5th Februray, 1993

S.O. 90(E).—In exercise of the powers conferred by Clause 8 of the Jute (Licensing & Control) Order, 1961, I, R. N. De, Jute Commissioner hereby fix Rs. 1,160.22 per 100 bags as the maximum ex-fatory price at which B. Twills (a variety of Jute Textiles) of the size 112.4 cms. × 67.5 cms. Hd. W.I.P 112 cms. Hd. 1020 gms. per bag 6 × 8, 3-blue dry sewn and conforming in all other respects to the current ISI Specifications (No. IS : 2566-1984) as amended upto-date) shall be purchased or sold during the month of January, 1993.

2. The price fixed under this Notification shall be exclusive of duty of excise, cess payable under Jute Manufactures Cess Act, 1983 and sale tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser at actuals

[F. No. 8|3|93-Jute]

R. N. DE, Jute Commissioner.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993